R.R. No....1183...........
Dated.....22-6-15......
O/o SE (IT), JVVNL, JP.

अनुराग भारद्वाज, आई.एफ.एस.
प्रबन्ध निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर–302 005

क्रमांक / जेपीडी / प्र.नि. / जस / पत्रा. का.आ. / प्रे. 97 जयपुर, दिनांक 17-6-2015

कार्यालय आदेश

समाचार–पत्र / पत्रिकाओं में जयपुर विद्युत वितरण निगम से संबंधित आलोचनात्मक खबरों के संबंध में कई बार ऐसे भ्रामक व नकारात्मक समाचार प्रकाशित होते हैं, जो आमजन में अच्छा संदेश नहीं देते है और राज्य सरकार की रीति–नीति और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतः ऐसी स्थिति को देखते हुये विभागीय स्तर पर तत्परता और सक्रियता से निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1. संबंधित वृत अधीक्षण अभियन्ता प्रतिदिन प्रातः समाचार–पत्रों में अपने वृत से संबंधित प्रकाशित आलोचनात्मक / नकारात्मक समाचार के संबंध में खण्ड / उपखण्ड अधिकारी से दूरभाष पर बात कर प्रकाशित समाचार की वस्तुस्थिति टिप्पणी सहित प्राप्त कर दोपहर 12.00 बजे तक मुख्य / संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) को प्रत्येक समाचार पर अलग–अलग टिप्पणी भिजवायें।
2. तदुपरान्त मुख्य / संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस) दोपहर बाद 1.00 बजे तक समाचार–पत्र में प्रकाशित समाचार की वृत अधीक्षण अभियन्ता से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर समाचार के बारे में अपनी टिप्पणी निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को प्रेषित कर, जनसम्पर्क अधिकारी को भी मय साफ्ट प्रति इमेल projvvnl@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. पवस के अलावा अन्य विभागों से संबंधित समाचार होने पर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता / अधिकारी भी प्रकाशित समाचार के संबंध में अपनी टिप्पणी विभागाध्यक्ष / निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम को प्रेषित कर साफ्ट कापी में टिप्पणी जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम को भिजवायेंगे।

मुख्य / संभागीय मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वृत से संबंधित प्रकाशित आलोचनात्मक खबरों के संबंध में वस्तुस्थिति अपरान्त 1.00 तक तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के कार्यालय के फैक्स नं. 0141–2747207 एवं ई–मेल projvvnl@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। जनसम्पर्क अधिकारी प्राप्त वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे।

(अनुराग भारद्वाज)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान मुख्य / संभागीय मुख्य अभियन्ता, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर / कोटा / भरतपुर।
2. श्रीमान मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता (पवस / ....IT....), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर / अलवर / दौसा / सवाईमाधोपुर / भरतपुर / कोटा / झालावाड / धौलपुर / बूंदी / करौली / बांरा / टोंक।
4. तकनीकी सहायक, प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (तककीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक (वित्त) / सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

upload

जनसम्पर्क अधिकारी

फोन : (0141) 2744965 (का.) • फैक्स : (91) (141) 2744187 • ई–मेल : md@jvvnl.in